संख्या– /XVIII-(2)/2019-01(26)2007TC-1

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड शासन।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 28 नवम्बर, 2019

विषयः– आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) में कार्यरत कार्मिकों के उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA) में स्थानांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्यांक–53 अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 द्वारा लागू) की धारा–14 में राज्य सरकार को आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना तथा धारा–16 में प्राधिकरण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। अधिनियम की संगत धाराओं के अधीन शासनादेश–1356/XVIII-(2)/2018-3(2)/2016 दिनांक 11 मई, 2018 द्वारा समय–समय पर प्राधिकरण में पद स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में कार्य संचालन हेतु प्राधिकरण तथा प्राधिकरणों के अंतर्गत राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हुए पदों की स्वीकृति दी गई है।

2– राज्य गठन के उपरान्त राज्य/केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के लागू होने से पूर्व राज्य में आपदा पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण, बचाव, राहत पुनर्वास प्रबन्धन के दृष्टिकोण से शासनादेश संख्या–16/आपदा प्रबन्धन/2001, दिनांक 06 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रशासन अकादमी नैनीताल के अंतर्गत आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र का गठन किया गया था तथा शासनादेश संख्या–83/आपदा प्रबन्धन/2003, दिनांक 25 मार्च, 2003 द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र को स्वायत्तशासी का स्वरूप प्रदान किया गया था। केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किये जाने के फलस्वरूप न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र(DMMC) के ढ़ाचें के सम्बन्ध में पूर्व विद्यमान समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या–1355 /XVIII- (2) /2018-3(2)/2016 दिनांक

2–

11 मई, 2018 द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र का पुर्नगठन करते हुए 09 पद स्वीकृत किये गये है। पूर्व में प्राधिकरण में मानव संसाधन की कमी के कारण पूर्णतः कार्यात्मक स्थित में न हो पाने के कारण प्राधिकरण में कार्यालय व स्टॉफ आदि की सुचारू व्यवस्था होने तक अग्रेत्तर आदेशों तक प्राधिकरण के कार्य सम्पादन/सहयोग हेतु प्राधिकरण के कार्यालय ज्ञाप संख्या–02/उ0आ0प्र0प्रा0/2008, दिनांक 05 जनवरी, 2008 द्वारा आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) को अधिकृत किया गया था।

3– राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में एक ही उद्देश्य के लिए उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA) व आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) दो इकाईयो के होने, कार्य संचालन हेतु संस्थागत ढांचा व मानव संसाधन की कमी के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन कार्यो के सुगमता पूर्वक संचालन हेतु दिनांक 07 जुलाई, 2017 को आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन केन्द्र के शासी निकाय की बैठक में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केंन्द्र (DMMC) को प्राधिकरण में विलय किये जाने का निर्णय लिया गया था पुनः शासी निकाय की दिनांक 25 अप्रैल,.2019 को सम्पन्न बैठक में भी पूर्व में विलय के निर्णय उचित पाते हुए इसी के अनुरूप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही शासी निकाय की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) में कार्यरत समस्त कार्मिकों को यथोचित पदों पर प्राधिकरण (USDMA) में उनके रोजगार के प्रकृति के अनुरूप लिये जाने पर कार्यवाही किया जाय।

4– वर्तमान में राज्य में आपदा प्रबन्धन से समस्त गतिविधियाँ केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत ही संचालित की जा रही हैं। केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–38 में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट सभी उपाय किये जाने की व्यवस्था एवं आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन केन्द्र के शासी निकाय द्वारा लिये गये निर्णय, राज्य विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में एक ही उद्देश्य के लिए दो समान्तर इकाई होने तथा प्रशासनिक, वित्तीय दृष्टिकोण एवं सुगमतापूर्वक कार्य संचालन हेतु सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA) में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) के पदों का विलय करते हुए आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को वर्तमान प्रास्थिति में पद सहित निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्राधिकरण (USDMA) में स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) के पुनर्गठित ढांचे में वर्तमान में सृजित कुल 09 पदों के सापेक्ष 03 कार्मिक संविदा (वर्तमान में 01 कार्मिक की संविदा अवधि माह जुलाई, 2019 से 11 माह के लिये विस्तारित) एवं 04 पदों के

सापेक्ष नियमित कार्मिक कार्यरत है, को पद सहित वर्तमान प्रास्थिति के अनुरूप ही प्राधिकरण में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थान्तरित किये जा रहे कार्मिकों की आवश्यकतानुसार प्राधिकरण में तैनाती/कार्य आवटन की कार्यवाही सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। स्थानान्तरित किये जा रहे कार्मिकों के सेवा अभिलेख एवं इस सम्बन्ध में समस्त पत्रावलियां प्राधिकरण को नियमानुसार हस्तांतरित की जायेगी। केन्द्र से प्राधिकरण में स्थानान्तरित किये जा रहे कार्मिकों के सम्बन्ध में किसी बिन्दु पर मार्गदर्शन अपेक्षित हो तो प्राधिकरण द्वारा सम्यक् प्रस्ताव शासन को दिया जायेगा।

(2) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) में उपनल एवं पी0आर0डी0 के माध्यम से आउटसोर्स पर रखे गये एवं वर्तमान में कार्यरत 10 डाटा इन्ट्री आपरेटर, 11 मल्टी पर्पज वर्कर एवं 03 वाहन चालक को, प्राधिकरण (USDMA) में स्वीकृत एवं वर्तमान में आउटसोर्स के रिक्त पद के सापेक्ष वर्तमान प्रास्थिति के अनुसार स्थान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरण के फलस्वरूप आउटसोर्स पर रखे गये कार्मिकों के अनुबन्धं भी संशोधित करते हुए सम्बन्धित आउटसोर्स प्रदाता संस्थानों/एजेंसियों को सूचित किया जायेगा।

(3) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) के जिन पदों को प्राधिकरण में स्थानान्तरित किया जा रहा है, पद के सापेक्ष सविंदा/आउटसोर्स पर तैनात/कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या—111/XXX(2)/2018-30(12)/2018 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 एवं इस सम्बन्ध में निर्गत यथा संशोधन आदेश एवं समय—समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों के प्रावधान लागू होंगे।

(4) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) के गठन के उपरान्त केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं/शोध कार्यो को सूचीबद्व करते हुये आवश्यक विवरण प्राधिकरण को शीघ्र हंस्तान्तरित किया जाएगा। वर्तमान में केन्द्र के अन्तर्गत संचालित विभागीय कियाकलाप/कार्यकम जो गतिमान स्थिति में, है वह कार्यक्रम प्राधिकरण के स्तर पर संचालित किये जायेगे, जिन कार्यों हेतु शासन द्वारा केन्द्र को बजट आवंटित किया गया है अथवा कार्यों का अनुबन्ध केन्द्र (DMMC) द्वारा किया गया ऐसे कार्य व केन्द्र से सम्बन्धित विधिक प्रकरणों को वित्तीय वर्ष 2019—20 समाप्ति दिनांक 31 मार्च 2020 तक केन्द्र द्वारा पूर्ण करा लिया जायेगा। यदि किसी कार्य/योजना हेतु किसी विभाग/संस्थान से दिनांक 31 मार्च 2020 के पश्चात् आगामी वित्तीय वर्षो के लिए भी अनुबन्ध किया गया है तो तद्नुसार विधिवत रूप से अनुबन्ध संशोधन की कार्यावाही केन्द्र द्वारा उक्त अवधि के अन्दर कर लिया जायेगा। केन्द्र के गठन उपरान्त केन्द्र द्वारा विभिन्न स्रोतों से अर्जित सम्पत्ति/परिसम्पत्ति एवं वित्तीय लेखा जोखा समस्त आस्तियों/दायित्वों का विवरण केन्द्र द्वारा नियमानुसार तैयार कर परिसम्पत्तियों का प्राधिकरण में

4—

कार्यालय प्रमुख ... विभागाध्यक्ष ... 04 DEC

हस्तान्तरण किया जायेगा तदोपरान्त नियमानुसार आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) के समापन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार केन्द्र (DMMC) स्तर से संचालित किये जाने वाले कार्यों एवं केन्द्र (DMMC) के समापन की कार्यवाही/निस्तारण तक इन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी निदेशक द्वारा प्रभार अतिरिक्त रूप से देखा जाएगा एवं इस हेतु इन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते आदि अनुमन्य नहीं होगें।

(5) प्राधिकरण के गठन के उपरान्त प्राधिकरण में सृजित पदों सापेक्ष नियुक्त/तैनात किये जाने वाले नियमित कार्मिकों एवं केन्द्र से प्राधिकरण में स्थानांतरित नियमित पदों पर पदधारकों के सेवा सम्बन्धी/वित्तीय मामलों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार के प्रचलित नियमों को अंगीकृत करते हुए लागू किया जाता है।

(6) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) के जिन कार्मिकों का स्थानांतरण प्राधिकरण में किया जा रहा है, के द्वारा में दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक प्राधिकरण में योगदान दिया जायेगा इस अवधि के उपरान्त उक्त कार्मिकों का वेतन आहरण प्राधिकरण के सुसंगत मदों से किया जाएगा।

5– यह आदेश वित विभाग के अ.शा.सं0–178 मतदेय/XXVII (5)/2019–20, दिनांक 22, नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–1586/XVIII-(2)/2019-01(26)/2007 T.C.-1, तद दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
5. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उततराखण्ड शासन।
7. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
9. अध्यक्ष, शासी निकाय, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तराखण्ड।
10. आयुक्त, कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
11. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

5–

12. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, कोषगार, पेंशन एवं वित सेवायें, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
18. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
19. बजट अधिकारी, बजट राजकोषकीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
20. वित्त अनुभाग–5/7, उत्तराखण्ड शासन।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लोकनिर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-eicpwduk@nic.in

पृष्ठांकन पत्रसंख्या– 3300/34व्यक–स्थाना0–सा0/2019 दिनांक– 10 /12/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को राज्य आपदा प्रबन्धक प्राधिकरण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांख्या–1586/XVIII(2)/2019–01(26)/2007टी0सी0–1 दिनांक–28.11.2019 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रकरण अपने स्तर से प्रचारित प्रसारित करते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें:–

01. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
02. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
03. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
04. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रकरण लोक निर्माण विभाग की बेवसाइड पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
05. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
06. प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन–ख/ग/घ एवं कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
07. गार्ड पत्रवाली हेतु।

प्रशासनिक अधिकारी
विभागाध्यक्ष कार्यालय,
लो0 नि0 वि0, देहरादून

Genral-Latter